संख्या:-597/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2025

विषयः ऑन लाइन रिलीफ डिस्ट्रिब्यूशन पोर्टल, सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना, सूखा न्यूनीकरण परियोजना तथा रेस्पॉन्स एवं रिकन्स्ट्रक्शन कार्यो की बेहतर मॉनीटरिंग, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन व दीर्घकालीन डाटा संरक्षण हेतु समेकित पोर्टल विकसित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-8229/रा0आ0का0/2024-25, दिनांक 02.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ऑन लाइन रिलीफ डिस्ट्रिब्यूशन पोर्टल, सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना, सूखा न्यूनीकरण परियोजना तथा रेस्पॉन्स एवं रिकन्स्ट्रक्शन कार्यो की बेहतर मॉनीटरिंग, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन व दीर्घकालीन डाटा संरक्षण हेतु समेकित पोर्टल विकसित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 3,08,97,592/- (रूपये तीन करोड़ आठ लाख सत्तानबे हजार पांच सौ बानवे) आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

Summary- 1ST Year Charges (Including 1 year warranty services from the date of Go-live)

Sl.	Table Description	Sub Total	UPDES CO Margin @10%	Total	CGST @ 9%	UPGST @ 9%	Grand Total (Rounded)
1	**Snake Bite Mitigation Management System**	38,10,000.00	3,81,000.00	41,91,000.00	3,77,190.00	3,77,190.00	49,45,380.00
2	**Reconstruction Management Portal Relief & Response Portal**	45,50,000.00	4,55,000.00	50,05,000.00	4,50,450.00	4,50,450.00	59,05,900.00
3	**Drought Management Information System**	39,50,000.00	3,95,000.00	43,45,000.00	3,91,050.00	3,91,050.00	51,27,100.00
4	**Existing Portal** - https://rahat.up.nic.in/	43,50,000.00	4,35,000.00	47,85,000.00	4,30,650.00	4,30,650.00	56,46,300.00
	TOTAL	1,66,60,000.00	16,66,000.00	1,83,26,000.00	16,49,340.00	16,49,340.00	**2,16,24,680.00**

Summary - Charges of AMC 2nd Annual Charges

Sl.	Table Description	Sub Total	UPDES CO Margin @10%	Total	CGST @ 9%	UPGST @ 9%	Grand Total (Rounded)

1	**Snake Bite Mitigation Management System**	9,99,000.00	99,900.00	10,98,900.00	98,901.00	98,901.00	12,96,702.00
2	**Reconstruction Management Portal Relief & Response Portal**	15,65,000.00	1,56,500.00	17,21,500.00	1,54,935.00	1,54,935.00	20,31,370.00
3	**Drought Management Information System**	12,45,000.00	1,24,500.00	13,69,500.00	1,23,255.00	1,23,255.00	16,16,010.00
4	**Existing Portal** - https://rahat.up.nic.in/	33,35,000.00	3,33,500.00	36,68,500.00	3,30,165.00	3,30,165.00	43,28,830.00
	TOTAL	71,44,000.00	7,14,400.00	78,58,400.00	7,07,256.00	7,07,256.00	**92,72,912.00**

महायोग (रू0 2,16,24,680 + रू0 92,72,912) = रू0 3,08,97,592/-

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत राहत आयुक्त के पत्र दिनांक 02-05-2025 में उल्लिखित विवरणानुसार ऑन लाइन रिलीफ डिस्ट्रिब्यूशन पोर्टल, सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना, सूखा न्यूनीकरण परियोजना तथा रेस्पॉन्स एवं रिकन्स्ट्रक्शन कार्यों की बेहतर मॉनीटरिंग, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन व दीर्घकालीन डाटा संरक्षण हेतु समेकित पोर्टल विकसित किये जाने हेतु उपरोक्त विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि रू0 3,08,97,592/- (रूपये तीन करोड़ आठ लाख सत्तानबे हजार पांच सौ बानवे) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,08,97,592/- (रूपये तीन करोड़ आठ लाख सत्तानबे हजार पांच सौ बानवे) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 28-05-2025 16:[illegible]

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या:-597(1)/एक-10-2025, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-30/05/2025

प्रेषण संख्या:- 597
आवंटन आदेश संख्या:- 001-597
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	30897592 95784174	30897592 95784174
	योग	वर्तमान प्रगामी	30897592 95784174	30897592 95784174

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ आठ लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ बानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ सत्तावन लाख चौरासी हजार एक सौ चौहत्तर

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी